

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक JODHPUR, राजस्थान

- (IV) प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बात शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा- अधिकृत प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा;
- (V) 2009 के अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नियोज्यता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाए;
- (VI) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा(1) के अधीन अधिकृत न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जाए;
- (VII) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा(1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं
- (VIII) अध्यापक स्वयं को निम्नी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगायेंगे।
8. विद्यालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकृत पाठ्यक्रम (Curriculum) के आधार पर पाठ्य विवरण (Syllabus) का अनुसरण करेंगे।
9. विद्यालय, 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा-विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुसरण करता है एवं आगे भी करता रहेगा।
10. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेंगी।
11. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या भेदान केवल शिक्षा और कोशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।
12. विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का केंद्रीय अधिनियम सं 21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है।
13. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।
14. किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जाएगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जाएगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रति वर्ष भेजी जाएगी।
15. इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए पी एस पी कोड का उपयोग किया जाए।
16. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाए और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों को हटाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा किये जायें।
17. सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।
18. विद्यालय शिक्षा विभाग के शैक्षणिक कलेण्डर का उपयोग करेगा।
19. गैर सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत किसी भी विद्यार्थी का शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जावेगा। ऐसा आरोप प्रमाणित होने पर सम्बन्धित गैर सरकारी विद्यालय के विरुद्ध मान्यता/क्रमोन्नति वापिस लिए जाने की कार्यवाही की जावेगी।
20. Emblems and Name (Prevention of improper use) Act 1950 के तहत विद्यालय के नाम में इंटरनेशनल, इण्डियन, नेशनल, राष्ट्रीय प्रतीक एवं ध्वज, सेना/सैनिक इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, अतः विद्यालयों नाम में इनका प्रयोग नहीं किया जावे, यदि विद्यालय के नाम में उक्त का अंकन है तो संस्था/विद्यालय को नाम परिवर्तन हेतु आगामी सत्र में आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
21. अन्य शर्तें जो राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा रखी जाएंगी, मान्य होगी।

Signature valid

Digitally signed by K. Anand Kumar
Page 1 of 2
Designation : District Education Officer
Date: 2026.04.08 13:24:39 IST
Reason: Approved

Generated from NIC-PSP(<http://rajpsp.nic.in>) Web-Portal
RajKaj Raj No.: 21427707

Seema Thakur
PRINCIPAL
NEERJA MODI SCHOOL
JODHPUR

Scanned by  Camera Scanner